(Election/Urgent)

(34) *कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।*

संख्या : 1631 / शिविर–निर्वाचन–2016

दिनांक : अक्टूबर 3, 2016

1.समस्त उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

2.समस्त ई0आर0ओ0 / ए0ई0आर0ओ0, प्रतापगढ़।

वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विधानसभा चुनाव–2017 के दृष्टिगत विशेष संक्षिप्त पुनर्रीक्षण कार्यक्रम–2017 विद्यमान है। जैसा कि पूर्व में भी अनेकों बार लिखित एवं मौखिक निर्देशों के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जा चुका है, इस बार अभियान के रूप में मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं शुद्ध किया जाना है। किन्तु अत्यन्त ही खेद का विषय है कि **पुनर्रीक्षण कार्यक्रम आरम्भ होने के 18 दिन बाद भी 60–70 % ऐसे बूथ हैं जिसमें से सम्बन्धित बी0एल0ओ0 द्वारा एक भी फार्म–6, 7 व 8 जमा नहीं कराया गया है या वी0आर0सी0 द्वारा ई0आर0एम0एस0 पर दर्ज नहीं कराया गया है।** इससे स्पष्ट है कि आपके एवं अधीनस्थों द्वारा इस कार्य में जानबूझकर रुचि नहीं ली जा रही है एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संविधान, अधिनियम, नियम एवं दिशा–निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, जोकि अक्षम्य है।

अतः सभी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 6.10.2016 एवं दिनांक 7.10.2016 को विशेष अभियान चलाया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के बी0एल0ओ0 द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में फार्म–6 एवं 7 सम्बन्धित तहसील में जमा किया जाये एवं इसे ई0आर0एम0एस0 पर दर्ज किया जाये। **इस हेतु दिनांक 6.10.2016 को प्रातः 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक तथा दिनांक 7.10.2016 को प्रातः 9.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / ई0आर0ओ0 द्वारा विशेष व्यवस्था की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक बी0एल0ओ0 द्वारा स्वयं या सुपरवाइजर के माध्यम से फार्म–6 एवं 7 जमा करवा दिया गया है** एवं इसको ई0आर0एम0एस0 में दर्ज कर दिया गया है। इसका विधिवत् आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखा–जोखा भी रखा जाये।

जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 7.10.2016 को सायं 5.00 बजे हादीहाल में बैठक की जायेगी जिसमें सम्बन्धित ई0आर0ओ0 / ए0ई0आर0ओ0 उपस्थित होंगे। बैठक के दौरान प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की प्राप्त फार्मों के आधार पर समीक्षा की जायेगी एवं ए0ई0आर0ओ0 / ई0आर0ओ0 द्वारा जिन बूथों में 15 से कम फार्म–7 प्राप्त हुए हैं एवं 5 से कम फार्म–6 प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार जिन बूथों से एक भी फार्म–7 प्राप्त नहीं किया गया है, उसकी सूची पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।

दिनांक 7.10.2016 की समीक्षा के दौरान उन बूथ से जिनमें एक भी फार्म–7 प्राप्त नहीं हुआ है, सम्बन्धित बी0एल0ओ0 एवं सुपरवाइजर के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा–32 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा–134(1) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी तथा विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित बी0एल0ओ0 के पर्यवेक्षणीय अधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी / मुख्य सेविका / सहायक विकास अधिकारी (पं0) / खण्ड विकास अधिकारी) के विरुद्ध पर्यवेक्षणीय शिथिलता बरतने के लिए पृथक से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी तथा विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित ई0आर0ओ0 / ए0ई0आर0ओ0 / उप जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी / उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा) / जिला विकास अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी का व्यक्तिगत

————2

उत्तरदायित्व होगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र/परिक्षेत्र/तहसील में पड़ने वाले बूथों से प्रत्येक बूथ से फार्म प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः उक्त आदेश को अपने अधीनस्थ बी0एल0ओ0/सुरवाइजर के संज्ञान में लाते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रतापगढ़।
4. जिला विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ खण्ड विकास अधिकारियों को तद्नुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
5. उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ खण्ड विकास अधिकारियों/BLO,s को तद्नुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ खण्ड शिक्षा अधिकारियों/BLO,s को तद्नुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ BLO,s को तद्नुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारी (पं0)/ BLO,s को तद्नुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रति जनपद में प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़।